

VPS/EC/R/11/20/00084

अवर सचिव  
UNDER SECRETARY



उप-राष्ट्रपति सचिवालय  
VICE-PRESIDENT'S SECRETARIAT  
नई दिल्ली/NEW DELHI - 110011  
TEL.: 23016344/23016422 FAX: 23018124

फाइल संख्या वीपीएस-55/01-आरटीआई/51/2020-21

04 दिसंबर, 2020

सेवा में,

श्री घनश्याम  
ग्राम कामापुर खुर्द,  
पोस्ट बिहसड़ा, तहसील सदर,  
जिला मिर्जापुर (उत्तर प्रदेश)।

विषय :- सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 6(3) के अंतर्गत सूचना हेतु  
महोदय,

कृपया अपने 25.11.2020 के पत्र जोकि इस सचिवालय में 02.12.2020 को प्राप्त हुआ है तथा जिसके साथ आपने दस रूपये का पो.आ.सं. 52F 986191 संलग्न कर सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अंतर्गत इस सचिवालय को दिनांक 24.10.2020 को प्रेषित अपने पत्र के विषय में सूचना उपलब्ध कराने हेतु निवेदन किया है।

इस विषय में आपको सूचित करना है कि आपके 26.10.2020 के पत्र को इस सचिवालय द्वारा उचित ध्यानाकर्षण/कार्रवाई हेतु श्रीयुत मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ, उत्तर प्रदेश को 29.10.2020 को अग्रसारित कर दिया गया है (प्रति संलग्न)। आपको परामर्श है कि आप इस विषय में सीधे श्रीयुत श्रीयुत मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ के कार्यालय से संपर्क करें।

धन्यवाद,

भवदीय,

हुरबी शकील

(हुरबी शकील)

केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी

[hurbi.shakeel@nic.in](mailto:hurbi.shakeel@nic.in)

o/c

SPEED POST

9/12/2020

Narain

अवर सचिव  
UNDER SECRETARY



उप-राष्ट्रपति सचिवालय  
VICE-PRESIDENT'S SECRETARIAT  
नई दिल्ली/NEW DELHI - 110011  
TEL.: 23016344/23016422 FAX: 23018124

फाइल संख्या वीपीएस 29.10.2020 (पी)

29 अक्टूबर, 2020

श्रीयुत मुख्य सचिव,  
उत्तर प्रदेश शासन,  
लखनऊ, उत्तर प्रदेश।

प्रिय महोदय,

श्री घनश्याम, ग्राम-कामापुर खुर्द, पोस्ट-बिहसड़ा, तहसील-सदर, जिला-मिर्जापुर, उत्तर प्रदेश, का दिनांक 24.10.2020 का पत्र इस सचिवालय में 28.10.2020 को प्राप्त हुआ है। अतः पूर्ण विवरण युक्त इनका पत्र उचित कार्यवाही/ध्यानाकर्षण हेतु आपको प्रेषित किया जा रहा है।

धन्यवाद,

भवदीय,

(हुरबी शकील)

प्रति सूचनार्थ -

श्री घनश्याम, ग्राम-कामापुर खुर्द, पोस्ट-बिहसड़ा, तहसील-सदर, जिला-मिर्जापुर, उत्तर प्रदेश, का है।

कृपया पत्र के संदर्भ में श्रीयुत मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ, उत्तर प्रदेश के कार्यालय से संपर्क करें।

हुरबी शकील  
(हुरबी शकील)

आर टी आई अधिनियम के तहत आपूर्ति किए गए दस्तावेज/रिकार्ड की सच्ची प्रती

हुरबी शकील  
4/10/2020

हुरबी शकील/Hurbi Shakeel

अवर सचिव/Under Secretary

उपराष्ट्रपति सचिवालय/Vice-President's Secretariat

नई दिल्ली/New Delhi



सेवा में,

श्रीमान् सहायक जनसूचना अधिकारी/उपराष्टपति महोदय,  
भारत सरकार नई दिल्ली।

प्रार्थना पत्र द्वारा:- घनश्याम पुत्र कुल्हाडी निवासी ग्राम कामापुर खुर्द तप्पा 96  
परगंणा कतित तहसील सदर जिला मीरजापुर।  
महोदय,

सविनय निवेदन है कि प्रार्थी को जनसूचना अधिकार अधिनियम 2005 कि  
धारा 6(1) के तहत भारतीय पोस्टल आर्डर को ग्रहण करते हुए निम्नलिखित प्रश्नों  
का उत्तर देने का कष्ट करें।

1. क्या आप दलित विरोधी है। दिनांक - 24-10-2020 को आपके समक्ष डाकिया पत्र दिये  
उसमें क्या नार्म वाठी हुई दायीं आई,
2. क्या भारत वर्ष का कानून दलित विरोधी है।
3. क्या दलितों का भूमि का पट्टा करने के विरोधी है।
4. क्या अगर दलित विरोधी नहीं है तो हमे दिनांक 30.08.2014 से आज दिनांक  
24.11.2020 तक कृषि हेतु पट्टा क्यों नहीं किया गया।
5. क्या यहा के अधिकारी दलित विरोधी है, यहा का कानून दलित विरोधी है जो  
आज तक पट्टा नहीं किया गया।

अतः श्रीमान् जी से निवेदन है कि प्रार्थी के प्रार्थना पत्र पर ध्यान देते  
हुये निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर देने का कष्ट करें।

① संलग्नक:- पोस्टल आर्डर संख्या 52एफ 986191 दिनांक 29.09.2020

② डाकरीडी दिनांक - 14-10-2020 द्वारा डाकरीडी दिनांक 15-10-2019 तहसील  
दिवस सुपट मीरजापुर प्रार्थना पत्र की दायीं डाकरीडी ③ डाकरीडी दिनांक 15-10-2019 तहसील  
कागजात की दायीं डाकरीडी

दिनांक:- 25-11-2020

प्रार्थी

घनश्याम